हुई, जिसके अनुसार चक 7 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 51/41 के मुरब्बा नम्बर 29,45,55/22 में कुल 3.479 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु मौका निरीक्षण व मुताबिक ग्राम पंचायत माणकसर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त पलविन्द्र सिंह उर्फ पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः शुद्धि की जानी उचित है। साक्ष्यवादी में गवाह पलविन्द्र सिंह, राजविन्द्र कौर, लखप्रीत सिंह उपस्थित आए व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए। सामिल पत्रावली किये गए। प्रदर्श-1 जमाबन्दी खाता संख्या 51, प्रदर्श-2 राशन कार्ड, प्रदर्श-3 आधार कार्ड, प्रदर्श-4 मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श-4ए मतदाता पहचान पत्र छायाप्रति, प्रदर्श-5 पैन कार्ड, प्रदर्श-5ए पैन कार्ड छायाप्रति, प्रदर्श-6 लखप्रीत पहचान पत्र, प्रदर्श-6ए लखप्रीत पहचान पत्र छायाप्रति, प्रदर्श-7 संदीप कौर दसवी अंकतालिका, प्रदर्श-7ए संदीप कौर दसंवी अंकतालिका छायाप्रति, प्रदर्श-8 राशन कार्ड वर्ष 2005, प्रदर्श-8ए राशन कार्ड वर्ष 2005 छायाप्रति प्रदर्शित करवाए जो बाद तस्दीक किए गए। साक्ष्यवादी बन्द की गई। पैरोकार राज के द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र गवाह, सरपंच ग्राम पंचायत 13 एफ एफ मानकसर प्रमाण पत्र, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 7 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 51/41 में कुल 3.479 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी का नाम पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के स्थान पर पलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा इस सम्बन्ध में फर्द मौका तैयार किया गया। मुताबिक फर्द मौका पलविन्द्र सिंह व पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पचायत 13 एफ एफ के अनुसार पलविन्द्र सिंह उर्फ पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह तीनो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादी के पुत्र लखप्रीत सिंह के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादी की पुत्री संदीप कौर की कक्षा 10वीं की अंकतालिका में वादी का नाम पलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह अंकित है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादी का नाम पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज है। अतः वादी का नाम पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के स्थान पर पलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 7 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

26/07/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

<u>पलविन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर</u>
<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा, 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट, प्रकरण संख्या 36 /2021</u>

51/41 में कुल 3.479 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में नाम पिनिन्द्र सिंह उर्फ पिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के स्थान पर पलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

26/07/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 26/07/21 .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

26/07/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर